N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट )
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT  P.S. (थाना): C.P.S Jaipur  Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0107  Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/05/2025 18:47 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 308(2) |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): शुक्रवार  Date From (दिनांक से): 25/10/2024  Date To (दिनांक तक): 25/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6  Time From (समय से): 15:00 बजे  Time To (समय तक): 17:10 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 30/04/2025  Time (समय): 12:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002  Date & Time (दिनांक एवं समय) 01/05/2025 18:47:35 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 370 किमी  Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): POLICE THANA JALODA JAGEER, JILA PRATAPGARH

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य) ):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PURANDAS BAIRAGI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BANSHILAL BAIRAGI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | AKLINGPURA/ROHINEEKHERA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | AKLINGPURA/ROHINEEKHERA, PRATAPGARH, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANJEET SINGH RAJPUT | | पिता:ROOP SINGH RAJPUT | 1. NAITHALA POST NITHARI,ALWAR,MALAKHEDA, ALWAR,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 15,000.00 |

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ): 15,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन हैं कि प्रार्थी श्री पूरणदास पिता बंशीदास वैरागी निवासी एकलिंगपुरा (रोहिणीखेडा) तथा सहपरिवादी श्री हरीराम पिता काशीराम मीणा निवासी देवली थाना जलोदा जागीर जिला प्रतापगढ़ ने दिनांक 25.10.2024 को ब्यूरो चौकी प्रतापगढ उपस्थित हो एक हस्त लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि हम पुरणदास पिता बंशीदास जी जाति बैरागी उम्र 30 साल निवासी एकलिंगपुरा (रोहिणीखेडा) थाना जलोदा जागीर जिला प्रतापगढ तथा हरीराम पिता काशीराम जाति मीणा उम्र 40 साल निवासी देवली थाना जलोदा जागीर जिला प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। मुझ पुरणदास का ट्रेक्टर चलाने का काम हरीराम करता हैं। भंवर लाल खटीक निवासी साटोला थाना जलोदा जागीर से मैंने आज से करीबन 08 महिने पहले 50,000/- रूपये लिये थे जिसकी 50 रूप्ये के स्टाम्प पर 60,000/- रुपये 02 महिने में देना तय करते हुये लिखापढी की थी। इसी दौरान मेरे भाई की शादी होने से मैं भंवरलाल खटीक को समय पर पैसे नहीं दे पाया था। उसके कुछ समय बाद मैने भंवरलाल को बारी-बारी 50 हजार रूप्ये दे दिये थे। उसके बाद दिनांक 12.09.2024 को मेरे व मेरे पिताजी के साथ भंवरलाल खटीक ने साटोला गांव में मारपीट करते हुये स्कूटी छीन ली थी। जिसकी हमने जलोदा जागीर पुलिस थाने पर जाकर रिपोर्ट दी थी जो दर्ज नही की और यहां पर मौजुद हैड साहब जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ ने कहां कि तुम भंवरलाल खटीक से समझौता कर लो नहीं तो वो आपको एस.सी./एस.टी. एक्ट में फसा देगा। उसके बाद मैं भंवरलाल से मिलकर 10,000 /- रूपये दिये तब मुझे भंवरलाल ने मेरी स्कुटी वापस दे दी। उसके बाद बाकी के ब्याज सहित 70 हजार रूप्ये 10 दिन में देना तय हुआ। फिर मैने पैसो की व्यवस्था करके दिनांक 22.09.2024 को भंवरलाल के लडके राजु खटीक को कॉल किया तो उन्होने कहां कि तु मेरे पिताजी को 70 हजार की बजाय 40 हजार रूप्ये दे देना। मैं तेरा यह मामला खत्म करवा देता हूँ। जिस पर मैं दिनांक 23.09.2024 को मैं पुरणदास व हरीराम दोनो 40 हजार रूप्ये लेकर साटोला भंवरलाल के खेत पर हरीराम की मोटरसाईकिल हीरो पेशन प्लस लेकर गये वहां पर मैने भंवरलाल को 40 हजार रूप्ये केस दे दिया और पूर्व में की गई लिखावढी का स्टाम्प मांगा तो भंवरलाल ने कहां कि बाकी के 30 हजार रूप्ये और देगा तो ही स्टाम्प व मोटरसाईकिल दूंगा। फिर भंवरलाल ने हम दोनो के साथ गाली गलौच कर वहां से भगा दिया था। हम दोनो भंवरलाल के खेत से रवाना होकर साटोला चौराहे पर गये वहां पर इस बात के बारे में पिन्टु मीणा को बताया जो मेरे गांव देवली का ही रहने वाला हैं। उस पर पिन्टु मीणा व उसके दोस्तो ने भंवरलाल के साथ मारपीट करते हुए मेरी मोटरसाईकिल वापस लेकर आ गये, और हम अपने अपने घर चले गये। उस घटना के करीबन 10 दिन बाद दिलीप सिंह जी ए.एस.आई. ने मुझ पुरणदास को जलोदा जागीर थाने पर बुलाया। उस दिन दिलीप सिंह जी ए.एस.आई. व मंजित सिह कानिस्टेबल साहब ने मेरे पुलिस के पटट् से व लातो मुक्को से मारपीट की थी और मेरे से 2000/- रूपये ले दिये तथा मुझे शांतिभंग के आरोप में कोर्ट में पेश किया था। उस दिन मुझे मंजित सिह कानिस्टेबल साहब ने कहां कि 30.000/- रूपये की और व्यवस्था कर लेना नही तो तेरे को एस.सी./एस.टी. एक्ट में जैल जाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे देवीलाल कानिस्टेबल छोटीसादडी कोर्ट में लेकर गया जहां से मेरी जमानत हो गई, जमानत के बाद देवीलाल कानिस्टेबल मुझे डी.वाई.एस.पी. ऑफिस छोटीसादडी लेकर गया जहां पर मुझे गोपाल लाल हिण्डोनिया डिप्टी साहब मिले जिन्होने मेरे बयान की विडियो रिकार्डीग करवाई थी। मेरे बयानों की विडियों रिकॉर्डीग को बन्द करने के बाद गोपाल लाल हिण्डोनिया ने मुझसे कहा कि 30,000/- रूपये मंजित सिंह कानिस्टेल को दे देना, नहि तो एस.सी./एस.टी. एक्ट में जेल जाना पडेगा। जिस पर मैने पैसो की व्यवस्था कर लाने हेतु 10 दिन का समय मांगा था। दिनांक 18.10. 2024 को मुझे सरपंच प्रतिनिधि दलपत मीणा ने फोन कर बताया कि तुझे थाने पर बुला रहे हैं जिस पर मैं पुरणदास उसी समय थाना जलोदा जागीर गया था वहां पर मुझे मंजित सिह कानिस्टेबल ने अलग कमरे में ले जाकर कहां कि 30,000/- रूपये की लेन-देन डिप्टी साहब छोटीसादडी ही करेंगे। जिस पर मैं अगले दिन सुबह दिनांक 19.10.2024 को गोपाल लाल हिण्डोनिया डिप्टी साहब डी.वाई.एस.पी. ऑफिस छोटीसादडी के पास गया तो उन्होने कहां कि तेरे को एस.सी./एस.टी. वाले केस से बचना हैं तो जो पैसो की व्यवस्था करने के लिए कहां हैं वो मंजित सिंह को कर देना। दिनांक 19.10.2024 को ही शाम के समय पुलिस थाना जलोदा जागीर से दिलीप सिंह ए.एस.आई... मंजित सिंह कानिस्टेबल, एक हैड साहब और एक ड्राईवर साहब थाने की सरकारी गाडी लेकर मेरे गांव में आये और मुझे गाडी में बिठाकर हरीराम मीणा के घर पर ले गये वहां से हरीराम को भी गाडी में बिठाकर थाने पर ले गये। उस दिन मुझे अलग थाने में ही एक तरफ ले जाकर मंजित सिह कानिस्टेबल साहब ने कहां कि अभी भी तेरे पास वक्त हैं तु आज 30,000/-

रूपये की व्यवस्था कर ले बच जायेगा। तो मैने कहां कि 03-04 दिन का टाईम और दे दो मेरे को तो मैं मेरे खेत की मक्की बैचकर व्यवस्था कर दूंगा। दिनांक 20.10.2024 को मुझे व हरीराम को थाने पर ही रखा था। फिर दिनांक 21.10.2024 को मुझ हरीराम से मेरी हीरो पेशन प्लस मोटरसाईकिल मंगवाकर कहां कि तु मोटरसाईकिल यही थाने पर जमा करवायेगा तो ही तुझे यहां से जाने देंगे। इस पर मुझ हरीराम ने मेरी मोटरसाईकिल घर से मंगवाई तथा मंजित सिंह के कहने पर थाना जलोदा जागीर पर खडी करवाई थी, उसके बाद हरीराम व पिन्टु को थाने से ही छोड दिया था। परन्तु मुझ पुरणदास को दिनांक 21.10.2024 को एस.सी./एस.टी. कोर्ट प्रतापगढ़ में पेश किया, उस समय मंजित सिह ने कहा था कि 30 हजार की व्यवस्था नही हो पाये तो 20,000/- रूपये तो देने ही पड़ेंगे। उसके बाद मैं पुरणदास जिला जेल प्रतापगढ में रहा उसके अगले दिन मेरी जमानत हुई। दिनांक 23.10.2024 को भवरलाल के लडके राजु ने मेरे पिताजी बंशीदास जी के साथ मारपीट की थी, जिसकी रिपोर्ट देने के लिए मैं तथा हरीराम दोनो गोपाल लाल हिण्डोनिया डिप्टी साहब डी वाई.एस.पी. ऑफिस छोटीसादडी के पास गये थे तो उन्होने कहां कि तेरे को पहले बताया था वो काम कर दे। उसके बाद मुझे जलोदा जागीर थाने पर मंजित सिंह कानिस्टेबल से मिलने के लिए भेज दिया। जिस हम थाने पर गये जहां कोई स्टाफ नही था केवल ड्राईवर साहब ही थे जिनको मैने पिताजी के साथ मारपीट करने वालो के खिलाफ कार्यवाही हेतु लिखित रिपोर्ट दी हैं। पुलिस थाना जल्लोदा जागीर के दिलीप सिंह ए.एस.आई., मंजित सिंह कानिस्टेबल तथा गोपाल लाल हिण्डोनिया डिप्टी साहब डी.वाई. एस.पी. ऑफिस छोटीसादडी तीनो मेरे से 30,000/- रूपये अवैध रिश्वत के मांग कर रहे। हम तीनो को रिश्वत की राशि नही देना चाहते हैं। उन्हें रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकड़वाना चाहते हैं। हमारे आपस में कोई रंजीश व लडाई झगडा नहीं हैं तथा ना हि हमारे आपस में कोई दुश्मनी हैं। हमारे आपस में कोई लेन-देन बकाया नही है। कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 24.10.2024 को प्रकरण संख्या 235/2024 में आरोपी श्री जयमल राठौड के उदयपुर स्थित आवास की खाना तलाशी में व्यस्त था, दिनांक 25.10.2024 को बाद कार्यवाही सुबह समय 09.20 ए.एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के हेल्पलाईन नम्बर 1064 का मिस कॉल तथा समय 09.24 ए.एम. पर मोबाईल नम्बर [redacted] का मिस कॉल प्राप्त हुआ था, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समय 09.48 ए. एम. पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के हेल्पलाईन नम्बर 1064 तथा मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्ता की गई, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया गया कि जलोदा थाने पर तैनात मंजित सिंह कानिस्टेबल मुझ परिवादी के विरूद्ध दर्ज एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्रकरण में जब्त मोटरसाईकिल छुडाने के बदले गोपाल लाल हिण्डोनिया डिप्टी साहब डी.वाई.एस.पी. ऑफिस छोटीसादडी के लिए रिश्वत राशि की मांग कर रहा हैं, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को अग्रीम ट्रेप कार्यवाही के बारे में फोन पर बताया गया तथा यह भी बताया कि मैं अभी उदयपुर हूँ आप अभी प्रतापगढ़ पहुंच कर ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ़ में तैनात हेमेन्द्र सिंह कानि. से सम्पर्क करे व कानूनी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश करें या आप जहां मिल सकते हो वह स्थान बतावें जहां मैं हेमेन्द्र सिंह कानि. को अग्रीम कार्यवाही हेतु आपके पास भिजवा दु, जिस पर परिवादी पुरणदास ने कहां कि मैं व मेरे साथ हरिराम हम दोनो अभी आपके आफिस प्रतापगढ जा रहे हैं। उसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधाक्षक द्वारा जरिये टेलिफ़ोन हेमेन्द्र सिंह कानि नं 82 को निर्देशित किया गया कि अभी कुछ समय बाद में परिवादी पुरणदास व उसके साथ एक व्यक्ति हरिराम आयेगा, दोनो परिवादीयों को स्वयं का परिचय देते हुये उनका परिचय कर दोनो को अग्रीम ट्रेप कार्यवाही के बारे में जानकारी देना अगर परिवादी ब्यूरो कार्यालय उपस्थित नहीं होते हैं तो परिवादियों से जरिये मोबाईल सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादीयों के पास जाने हेतु टेलिफोन पर निर्देश दिये गये एवं समय 10. 36 ए.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सुरजमल कानि. नं. 247 तत्कालिन मालखाना प्रभारी को ब्यूरो के मालखाना में रखे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड को श्री हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 को उपलब्ध करवाने हेतु जरिये टेलिफोन निर्देशित किया। तत्पश्चात समय 03.00 पी एम. पर हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 ने जरिये टेलिफोन मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि परिवादीगण पुरणदास व हरिराम ने श्रीमान के नाम एक हस्तलिखित रिपोर्ट जलोदा जागीर थाने पर तैनात मंजित सिंह कानिस्टेबल द्वारा परिवादी के विरूद्ध दर्ज एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्रकरण में जब्त मोटरसाईकिल छुडाने के बदले गोपाल लाल हिण्डोनिया डिप्टी साहब डी.वाई.एस. पी. ऑफिस छोटीसादडी के लिए रिश्वत राशि की मांग करने पर कानूनी कार्यवाही करवाने हेतु पेश की हैं। जिस पर हेमेन्द्र सिंह कानि. को जरिये टेलिफोन निर्देशित किया कि दोनो परिवादीयों को अग्रीम ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत करें तथा ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड कर लाने हेतु हेमेन्द्र सिंह कानि. मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन एवं परिवादीगण पूरणदास, हरिराम दोनो अपनी प्राईवेट मोटरसाईकिल को पुलिस थाना जलोदा जागीर हेतु समय 03.20 पी.एम. पर रवाना किया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 25.10.2024 को बाद दोपहर मुख्यालय प्रतापगढ हाजिर आया। समय 08.15 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित हो हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 ने परिवादीगण पुरणदास व हरिराम द्वारा पेश हस्तलिखित रिपोर्ट मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर व मेमोरी कार्ड को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द कर अवगत करवाया कि श्रीमान आप के आदेश की पालना में मैं हेमेन्द्र सिंह कानि. मय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन एवं परिवादीगण पूरणदास, हरिराम दोनो अपनी प्राईवेट

मोटरसाईकिल के रवाना हो समय 05. 10 पी.एम. पर पुलिस थाना जलोदा जागीर के पास पहुंचं दोनो परिवादीगणों को थाने पर जाकर संदिग्ध मंजीत सिंह कानि. से बात करने एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड करने की हिदायत कर परिवादी पूरणदास को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर दिया थाने की तरफ रवाना किया, मैं अपनी पहचान छुपाते हुए थाने के आस-पास ही परिवादीगणों का इंतजार करता रहा। समय 06.00 पी.एम. पर परिवादीगण पूरणदास, हरिराम दोनो मेरे पास आये और मेरे द्वारा दिया गया डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुझे सुपूर्द कर परिवादी पूरणदास ने बताया कि मेरी मंजीत सिंह कानि. से बात हुई हैं। मंजीत सिंह कानि. ने मेरे से पांच हजार रूपये ले लिये है और डिप्टी साहब के लिए दस हजार रूपये की और मांग कर रहा हैं। उक्त वार्ता की ताईद सहपरिवादी हरिराम ने भी की। उसी समय परिवादी श्री पूरणदास ने 2-3 दिन में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर पुनः सम्पर्क करने हेतु कहां। तत्पश्चात परिवादीगणों ने प्रतापगढ आने में असमर्थता जाहिर कर बताया कि अगर साहब यहां आ जावें तो हम कारूण्डा चौराहे के आस-पास मिल जायेगें। जिस पर मन्न कानि द्वारा परिवादीगणों को कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने हेतु बताया जाकर परिवादीगणों को रूखसत कर रवाना हो समय 08.15 पी.एम. पर ब्यूरो चौकी प्रतापगढ़ पहुचं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को श्रीमान को सुपूर्द किया। मंजित सिंह कानि. द्वारा परिवादी श्री पूरणदास से की गई वार्ता परिवादी पुरणदास द्वारा उसे दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड की हैं। अतःपरिवादी की लिखित रिपोर्ट मे मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो श्री मंजीत सिंह कानि. थाना जलोदा जागीर द्वारा रिश्वत राशि मांग किये जाने की पुष्टि हुई एवं परिवादीगणों से भी टेलीफोन से वार्ता हुई थी। बाद सत्यापन दोनो परिवादीयों के हेमेन्द्र सिंह कानि. के साथ ब्यूरो चौकी नही आने पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादीगणों से व्यक्तिगत मिलने एवं आगे की कार्यवाही एवं गोपनीयता उन्हे समझाने हेतु उनमे मिलने के बारे में पुछा गया तो उन्होने कारूण्डा चौराहा छोटीसादडी मिलने का बताया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनांक 25.10.2024 को समय 0000 पी.एम पर रवाना हो कारुण्डा चौराहा पोटीसादडी पहुंचं दोनो परिवादीगण से मिला एवं उन्हें रिश्वत राशि की व्यवस्था होने तक गोपनीयता एवं विशेष सतर्कता बरतने हेतु एवं ब्यूरो ईकाई से शीघ्र सम्पर्क करने हेतु समझाया जाकर बाद फारीक हाजिर ब्यूरो कार्यालय हुआ। दिनांक 28.10.2024 को परिवादी पूरणदास ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये वाट्सअप कॉल कर बताया कि अब से मैं आपको वाट्सअप कॉल ही करूंगा क्योंकि मुझे शक हैं कि डिप्टी साहब और मंजीत सिंह मेरी कॉल डिटेल निकाल रहे हैं और उन्हें आभास हो गया है कि मैने उनकी शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में की हैं। इस पर परिवादी पूरणदास को सावधानी एवं सतर्कता बरतने हेतु समझाया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से जब भी मिलना हो निवास पर या उसके लिये उपयुक्त जो भी स्थान हो वहां मिलने हेतु निर्देशित किया एवं साथी परिवादी श्री हरिराम को भी इस बारे में सतर्कता रखने हेतु समझाने के लिये कहा। दिनांक 20.10.2024 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपनीय कार्य से बांसवाडा था तब परिवादी पूरणदास, हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 से मिलने के लिये ब्यूरो ईकाई प्रतापगढ़ आया था तब उसने उसका किसी व्यक्ति द्वारा पीछ्छन करने की बात कही थी एवं हेमेन्द्र सिंह कानि. को यह भी बताया कि मंजीत सिंह कानि. आजकल थाने पर नही हैं। इस पर दोनो परिवादीगणों को समझाया कि वह जानकारी रखें व सावधानी रखें तथा जैसे ही मंजीत सिंह कानि, थाना जलोदा जागीर आता है, गोपनीय तौर पर ब्यूरो ईकाई से सम्पर्क करे। इसके बाद मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा नवम्बर माह में परिवादी पूरणदास से 2-3 वार जरिये फोन वार्ता की तब उसने मंजीत सिंह कानि. का थाने पर नहीं आना बताया। गोपनीय रूप से जानकारी प्राप्त करने पर मालूम हुआ कि श्री गोपाल लाल हिंगोनिया एवं मंजीत सिंह कानि. को पूरा विश्वास हो गया हैं कि पूरणदास एवं हरिराम ने इस सम्बन्ध में ब्यूरो कार्यालय में उनकी शिकायत की हैं और अब ने इन दोनो परिवादीगण मे नहीं मिलेगे और बात भी नहीं करेंगे। दिनांक 27.11.2024 को हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 ने परिवादी पूरणदास से जरिये फोन सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मैंने मोटरसाईकिल छुडाने के लिये कल कोर्ट प्रतापगढ़ से ऑर्डर करवा लिया था ओर आज मैं और हरिराम जलोदा जागीर थाने से मोटरसाईकिल छुडा लाये हैं। इस पर हेमेन्द्र सिंह कानि. ने दोनो परिवादीयों को ब्यूरो ईकाई प्रतापगढ़ आने के लिये कहां, इस पर पूरणदास ने बताया कि अभी हरिराम जी खेतों पर गये हैं आज तो हम नहीं आ सकते है, कल आयेंगे। दिनांक 28.11.2024 को दोनो परिवादी श्री पूरणदास बैरागी एवं हरिराम मीणा समय 03.00 पी.एम. पर ब्यूरो ईकाई प्रतापगढ़ हाजिर आये और मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि डिप्टी साहब एवं मंजीत सिंह कानि. को शक हो गया है इसीलिये मंजीत सिंह कानि. थाने से फरार चल रहा था. अभी 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि मंजीत सिंह कानि, थाने पर वापस आ गया हैं तो दिनांक 27.11.2024 को मैं और हरिराम जी कोर्ट का कागज लेकर मोटरसाईकिल छुडवाने के लिए थाने पर गये थे और कोर्ट का कागज गोपाल लाल हिण्डोनिया डिप्टी साहब जो कि थाने पर ही बैठे हुये थे को दिया तो उन्होने मुह से कुछ नहीं बोला और हाथ का ईशारा करके दुसरे हैड साहब की तरफ भेज दिया, जहां मैंने कोर्ट का कागज देकर मेरी मोटरसाईकिल को छुडवाया था। उसके बाद मैं मंजित सिंह कानिस्टेबल के पास गया तो उन्होंने हाथ का ईशारा कर थाने से जाने के लिए कह दिया। अतः हम दोनो को पुरा यकिन हैं कि मंजित सिंह कानिस्टेबल को शक हो गया है जिसके कारण रंगे हाथो पकडवाने की कार्यवाही नही हो सकती हैं। परिवादीगण द्वारा दिनांक 25.10.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट पर अब अग्रीम ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नही होने से

असफल ट्रेप कार्यवाही में प्रकरण पंजीबद्ध कराने हेतु अग्रीम कार्यवाही के लिये 2 स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से श्रीमान उपायुक्त जनजातिय क्षेत्रिय विकास विभाग प्रतापगढ जिला प्रतापगढको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1031 दिनांक 27.11.2024 जारी कर पत्र वाहक के साथ 02 स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया जिस पर कार्यालय जनजातिय क्षेत्रिय विकास विभाग प्रतापगढ जिला प्रतापगढ के पत्र कमांक 1453-54 दिनांक 27.11.2024 द्वारा श्री राजकुमार मीणा पिता भंवर लाल जी जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी लुपडी पोस्ट चुपना तहसील अरनोद जिला प्रतापगढ हाल सहायक लेखा अधिकारी द्वितिय कार्यालय जनजातिय क्षेत्रिय विकास विभाग प्रतापगढ जिला प्रतापगढ मोबाईल नम्बर [redacted], श्री सचिन मीणा पिता भैरूलाल जाति मीणा उम्र 25 साल निवासी अवलेश्वर थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जनजातिय क्षेत्रिय विकास विभाग प्रतापगढ जिला प्रतापगढ मोबाईल नम्बर [redacted] दिनांक 28 11 2024 को समय 04.00 पी.एम. पर ब्यूरो ईकाई प्रतापगढ उपस्थित आये। दोनो स्वतन्त्र गवाहों को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का परिचय देने के बाद कक्ष में बैठे दोनो परिवादीगण से परिचय करवाया तथा हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 से परिवादीगण द्वारा दिनांक 25.10.2024 को प्रस्तुत रिपोर्ट मंगवाई जाकर हेमेन्द्र सिंह कानि. का परिचय भी दोनो स्वतन्त्र गवाहो से करवाया। स्वतन्त्र गवाहों श्री राजकुमार मीणा एवं श्री सचिन मीणा को दोनो परिवादीगण एवं हेमेन्द्र सिंह कानि. की मौजूदगी में सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी दी। इस बीच दोनो परिवादीगण ने अग्रीम ट्रेप कार्यवाही न हो पाने पर संदिग्ध अधिकारीयों के विरूद्ध अग्रीम कानूनी कार्यवाही किये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र लिखकर प्रस्तुत किया, जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्वतन्त्र गवाहों ने पढ़ा। इसके पश्चात मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 से ब्यूरो हाजा के मालखाना से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं मूल मेमोरी कार्ड सेनडोस्क कम्पनी 32 जी.बी., जिसमें दिनांक 25.10.2024 की परिवादीगण एवं मंजीत सिह कानि. एवं अन्य की वार्ता हैं एवं उसमें मंजीत सिंह कानि. द्वारा 10 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग हैं एवं दौराने सत्यापन भी संदिग्ध कानि. ने परिवादी से 05 हजार रूपये बतौर रिश्वत लिये जो ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, उसे मंगवाया जाकर उसे चलाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहों को सुनाया जाकर हेमेन्द्र सिंह कानि. नं. 82 द्वारा इसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर एक प्रति चारो को दी गई, जिसे दोनो परिवादीगण एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहानों ने सही मान उक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट पर हस्ताक्षर किये एवं स्वतन्त्र गवाहों ने परिवादीगण द्वारा दिनांक 25.10.2024 एवं दिनांक 28.11.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ कर उस पर हस्ताक्षर किये। इसके पश्चात दोनो स्वतन्त्र गवाहों एवं परिवादीगणों को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किये। तत्पश्चात मालखाना प्रभारी श्री दिलीप कुमार कानि. नं. 319 से उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उक्त मूल मेमोरी कार्ड सेनडीस्क कम्पनी 32 जी.बी. पुनः ब्यूरो हाजा के मालखाना में सुरक्षित रखवाया गया। अतः परिवादीगणों की लिखित रिपोर्टो, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं गोपनीय जानकारी से श्री मंजित सिंह राजपूत पिता श्री रूप सिंह राजपूत जाति राजपूत उम्र 37 साल निवासी नैथला पोस्ट निठारी थाना मालाखेडा तहसील व जिला अलवर राजस्थान तत्कालिन कानि. नं. 117 पुलिस थाना जलोदा जागीर हाल पुलिस थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ द्वारा परिवादीगणों से उनके विरूद्ध दर्ज एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्रकरण में जब्त मोटरसाईकिल छुडाने के बदले रिश्वत राशि की स्पष्ट मांग होने एवं सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि 05 हजार रूपये प्राप्त करने से श्री मंजित सिंह राजपूत पिता श्री रूप सिंह राजपूत जाति राजपूत उम्र 37 साल निवासी नैथला पोस्ट निठारी थाना भालाखेडा तहसील व जिला अलवर राजस्थान तत्कालिन कानि. नं. 117 पुलिस थाना जलोदा जागीर हाल पुलिस थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ के विरूद्ध धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 308 (2) बीएनएस 2023 का अपराध प्रमाणित होने से प्रकरण पंजीबद्ध करवाने हेतु रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें अग्रेषित हैं। भवदीय (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रतापगढ।.............कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 308 (2) बीएनएस 2023 में आरोपी श्री मंजीत सिंह राजपूत पिता श्री रूप सिंह राजपूत जाति राजपूत उम्र 37 साल निवासी नैथला पोस्ट निठारी थाना मालाखेडा तहसील व जिला अलवर राजस्थान तत्कालिन कानि. नं. 117 पुलिस थाना जलोदा जागीर हाल पुलिस थाना हथुनिया जिला प्रतापगढ के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह राठौड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,चित्तौडगढ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 11 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 607-10 दिनांक 01-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर । 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-पुलिस अधीक्षक, जिला प्रतापगढ।4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** Vikram Singh Rathore **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station**
**(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/05/2025 18:

15. **Date and time of dispatch to the court**
**(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** DR PYARE LAL SHIVRAN

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )**
**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 12/05/1988 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)